बिहार सरकार
उद्योग विभाग
राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय

पत्रांक– SIPB/BIIPP-16/ED-SGST/222/2023(PART FILE)/……… **दिनांक–**………………………

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 ह0)
बिहार, पटना

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत मेसर्स युनीक फूड्स (ए यूनिट ऑफ आर0 के0 एग्री बीज़ एल0 एल0 पी0), मुजफ्फरपुर (विस्तारित) को अप्रैल–2025 से जून–2025 एवं अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 तक की अवधि हेतु कुल ₹2,27,093/– (दो लाख सताईस हजार तिरानबे रूपये) मात्र के विधुत शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

महाशय,

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत एस0डब्लू0सी0 पोर्टल पर प्राप्त दावा (**INC202602000369**) के आधार पर मेसर्स युनीक फूड्स (ए यूनिट ऑफ आर0 के0 एग्री बीज़ एल0 एल0 पी0) मुजफ्फरपुर (विस्तारित) को वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत अप्रैल–2025 से जून–2025 एवं अक्टूबर–2025 से दिसम्बर–2025 तक की अवधि हेतु कुल ₹2,27,093/– (दो लाख सताईस हजार तिरानबे रूपये) मात्र के विद्युत शुल्क अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) इकाई न्यूनतम 5 वर्षो तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षो के अंदर इकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(ii) इकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन–उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी स्तर पर अनुदान की गणना करने में त्रुटि पाए जाने पर भुगतेय अनुदान की राशि की वसूली नियमानुकूल की जायेगी।

(iv) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू–राजस्व की भाँति सूद सहित बकाये की वसूल करेगी।

2. उक्त राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश ज्ञापांक–404, दिनांक–03.02.2026 के आलोक में मुख्य शीर्ष–2852–उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102–औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या–23, उप शीर्ष–0160– प्री–प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड–23–2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष–0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

5. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद पर बी0 टी0 सी0 फार्म–25 पर की जाएगी।

6. इस राशि का भुगतान मेसर्स युनीक फूड्स (ए यूनिट ऑफ आर0 के0 एग्री बीज़ एल0 एल0 पी0) मुजफ्फरपुर (विस्तारित) को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या–31761601631, IFSC Code- SBIN0000138 में CFMS के माध्यम से की जाएगी।

7. प्रस्ताव पर उद्योग निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–344, दिनांक–27.01.2021 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– SIPB/BIIPP-16/ED-SGST/222/2023(PART FILE)/SIPB/863 दिनांक–25/03/26

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, बिहार, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मेसर्स युनीक फूड्स (ए यूनिट ऑफ आर0 के0 एग्री बीज़ एल0 एल0 पी0) मुजफ्फरपुर (विस्तारित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/03/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।